4/7/17	अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिवक्ता अधिवक्ता प्रतिवादिगण नं.5 का नाम हटाकर वादी को सही नाम प्रतिवादिगण नं.5 का नाम दर्ज किया जाना है। पत्रावली वास्ते कार्यालय तकमीला दिनांक 25/8/17 को पेश हो।
प्रतिवादी का नाम सही हो जाने के कारण हटाया जाये।	
	उप खण्ड अधिकारी **करौली (राज०)**
25/8/17	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के व्यस्त कार्य में व्यस्त होने के कारण आज दिनांक 25/8/17 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 12/10/17 को की जावेगी।
12/10/17	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण आज दिनांक 12/10/17 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 13/11/17 को की जावेगी।
27/10/17	पत्रावली आज अधोहस्ताक्षरकर्ता वादी के आगमन पर पेश हुई। प्रतिवादिगण उपस्थित न होकर लिखित बहस हेतु Adv. के समक्ष बकालतनामा पेश किया। साथ ही एकीकृत वादी द्वारा दोनों पक्षों की उपस्थिति में राजीनामा पेश किया जो वाद पत्रावली में शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा डिक्री का हुक्म रहेगा। अतः मनुसार फाइल डिक्री जारी हो। पत्रावली निस्तारण मुताबिक बेबाक करने के बाद। शामिल पत्रावली हो।
प्रकाशी	हरिराम
प्रकाशी	जेठराम

उपखण्ड अधिकारी
करौली